शा. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर

रैगिंग : धारा 3 – विनियम 2009

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे :–

1. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुव्यवहार करना।
2. छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
3. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करें तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
4. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
5. नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
6. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
7. शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम संबंधी कार्य हेतु विवश प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
8. मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, इ–मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नये छात्र को घबराहट हो।
9. कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

एंटी रैगिंग समिति विनियम २००९ धारा ७ एवं ९.१

किसी विद्यार्थी को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा –

1. रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के संबंध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गंभीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।
2. रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

   i. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन।

   ii. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना।

   iii. किसी टेस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।

   iv. परीक्षाफल रोकना।

   v. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।

   vi. छात्रावास से निष्कासित करना।

   vii. प्रवेश रद्द करना।

   viii. संस्था से 04 सत्रों तक के लिये निष्कासित करना।

   ix. संस्था से निष्कासित और परिणाम स्वरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासिन करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिये भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय लें।

   x. प्रत्येक केस की एफ.आई.आर. दर्ज होगी। कोर्ट द्वारा जटिल केस में 25000/– तक जुर्माना या रिगरस इम्प्रीजमैंट अथवा दोनों।

प्राचार्य